न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर।

वाद संख्या– 4192/2026

श्रीमती रश्मि पाण्डेय बनाम राजपाल आदि

थाना–सदर बाजार
जिला– सहारनपुर।

02.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादिनी श्रीमती रश्मि पाण्डेय उपस्थित आयी। उसके द्वारा प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया कि प्रार्थिया अपने वाद को चलाना नहीं चाहती है और बिना किसी कार्यवाही के इसी स्तर पर वापस लेना चाहती है चूंकि वादिया से जो सात हजार रूपये मुलजिमान द्वारा लिये गये थे वे भी वापस कर दिये गये हैं। अब मौजिज अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थिया का समझौता करा दिया गया है। अतः प्रार्थिया का उपरोक्त वाद निरस्त करने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की ओर से विपक्षीगण राजपाल आदि को तलब किये जाने हेतु परिवाद पत्र दाखिल किया गया है। पत्रावली में परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० अंकित है। पत्रावली साक्ष्य अंतर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर चल रही है। परिवादिनी आज न्यायालय में उपस्थित है। उसके द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने वाद को आगे चलाने से इंकार किया गया है। चूंकि परिवादी स्वंय अपने परिवाद को आगे चलाना नहीं चाहती है। तद्नुसार परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त होने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मिनाक्षी सिन्हा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।
J.O.CODE–UP1950